अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या 416/2012

कुमारी अंजनी —— पुनरीक्षणकर्त्ता

वनाम

राज्य —— रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी

–:आदेश:–

प्रस्तुत मिस आंगनबाड़ी अपील वाद जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय के आदेश 832 दिनांक: 09.06.2012 ई० अंदर आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 22/2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी का अपील आवेदन एवं निम्नन्यायालय के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार संक्षेप में मामला यह है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय अपील वाद संख्या 22/11 के विरूद्ध इस न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 250/12 कुमारी अंजनी बनाम राज्य दिनांक 11.07.12 को दाखिल किया गया था, जिसमें दिनांक 31.08.12 को तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था'' **यह आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन में पाई गयी अनियमितता के कारण जिला पदाधिकारी द्वारा चयन मुक्ति के विरूद्ध है। मार्गदशिका 2011 की कंडिका 10.06 के आलोक में आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।''**

अपीलार्थी द्वारा आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 250/12 में दिनांक 31.08.12 को पारित आदेश को Review करने हेतु मिस. आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 416/12 कुमारी अंजनी बनाम राज्य एवं अन्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील वाद की सुनवाई दिनांक 21.09.13 को की गयी। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इससे संबंधित इस न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 210/12 रेणु देवी बनाम राज्य एवं अन्य चल रहा है ऐसी स्थिति में इस वाद की सुनवाई एक साथ की गयी है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते है कि श्रीमती कुमारी अंजनी, अपीलार्थी द्वारा श्रीमती रेणु देवी के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या –231, परियोजना– त्रिवेणीगंज के सेविका पद पर चयन फर्जी अंक पत्र के आधार पर होने के फलस्वरूप चयन को रद्द करने हेतु दिनांक 26.05.10 को दिए गए परिवाद पत्र के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 483–2 सपत्र दिनांक 29.05.2010 द्वारा बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज से जॉचोपरान्त प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के पत्रांक 245 दिनांक 06.05.11 द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पत्रांक 13–स0 दिनांक 07.01.11के प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती रेणु देवी के जाली प्रमाण पत्र के आलोक में सेविका के पद पर उनके चयन को रद्द करने की अनुशंसा की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि जॉच प्रकियाधीन के बीच श्रीमती रेणु देवी पति श्री हिरेन्द्र कुमार मेहता सा0 मिरजावा, त्रिवेणीगंज, द्वारा दिनांक 06.07.11 को शपथ पत्र समर्पित किया गया कि वे केन्द्र कोड संख्या 231 रधुनाथ सिंह डीहवार स्थान, मेहता टोला, मिरजावा, परियोजना– त्रिवेणीगंज पर आंगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत हैं एवं नियुक्ति के समय उनके द्वारा जमा कराये गये शैक्षणिक प्रमाण पत्र पूर्णतः सही है। इसी क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 810 दिनांक 01.08.11 के द्वारा सचिव/ परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गयी। सत्यापन के क्रम में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी तथा पत्राचार के द्वारा सत्यापन की प्रकिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया गया। जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा दिनांक 10.01.12 को प्रश्नगत अंकपत्र का सत्यापन श्री शालीग्राम साह, वरीय उप समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा कराने का निर्णय लिया गया। उक्त आलोक में श्री शालीग्राम साह, वरीय उप समाहर्त्ता, सुपौल के पत्रांक 292–2 दिनांक 13.04.12 द्वारा श्री श्यामानन्द चौधरी, सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से प्राप्त पत्रांक 172/स0 दिनांक 10.04.12 के साथ अंतिम जॉच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 09.04.12 तथा 10.04.12 को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना में उपस्थित होकर उपलब्ध कराए गए पत्र, अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया। संदर्भित पत्रांक 4002 दिनांक 06.09.11 एवं अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र का सत्यापन बोर्ड के कर्मी श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा तथा सचिव, श्री श्यामानंद चौधरी के द्वारा उनके समक्ष किया गया। सभी कागजात मूल में उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार–

1. बोर्ड का पत्रांक 4002 दिनांक 06.09.11 जिसमें श्रीमती रेणु देवी, पति श्री हिरेन्द्र कुमार मेहता, कोड संख्या 3108 कमांक 709, पंजीयन संख्या 31 08573/2007 का कुल प्राप्तांक 463 प्रथम श्रेणी अंकित है, गलत है।

2. बोर्ड का पत्रांक 4002 दिनांक 06.09.11 जिसमें श्रीमती रेणु देवी, पति श्री हिरेन्द्र कुमार मेहता , कोड संख्या 3108 कमांक 709, पंजीयन संख्या 31 08573/2007 का कुल प्राप्तांक 413 द्वितीय श्रेणी अंकित है, वास्तविक/सही है।

3. मध्यमा परीक्षा प्रमाण पत्र कम संख्या 0102629 जिसमें 1st DIV अंकित है गलत है।

4. मध्यमा परीक्षा अंक पत्र कम संख्या 0102629 जिसमें कुल प्राप्तांक 463 1st DIV अंकित है गलत है।

सचिव, बिहार संस्कुत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा विभागीय पत्रांक 172/स0 दिनांक 10.04.12 के द्वारा *जाली प्रमाण पत्र एवं गलत सत्यापन दाखिल करने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई*। वर्णित स्थिति में ***जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 832/जि0 प्रो0 दिनांक 09.06.12 द्वारा श्रीमती रेणु देवी के उक्त केन्द्र के सेविका पद पर किए गए चयन को रद्द करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज को उक्त केन्द्र के सेविका पद पर नये सिरे से चयन हेतु 15 दिनों के अंदर सभी आवश्यक***

कार्रवाई करने हेतु आदेश पारित किया गया है। विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा उक्त आदेश के साथ साथ यह भी आदेश पारित किया गया है कि " चूँकि श्रीमती रेणु देवी द्वारा जानबुझकर गलत प्रमाण पत्र के आधार चयन कराया गया अतः उनसे नियुक्ति की तिथि से मानदेय के रूप में दी गयी पूर्ण राशि की वसूली की कार्रवाई बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज द्वारा किया जाए। मानदेय की राशि की गणना कर श्रीमति रेणु देवी गलत रूप से चयनित सेविका को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों का समय दिया जाएगा और अगर यह राशि उक्त अवधि में नहीं जमा किया जाता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस संबंध में सरकारी राशि का गवन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करते हुए जिला नीलामपत्र पदाधिकारी के समक्ष नीलामपत्र वाद दायर करेंगी। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गलत प्रमाण पत्र समर्पित कर चयन करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगी।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में सरकार के पक्ष में बहस करते हुए विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 832 दिनांक 09.06.12 को सही एवं न्यायोचित बताया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकनोपरान्त यह पाया कि विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा ज्ञापांक 832 दिनांक 09.06.12 द्वारा पारित आदेश सही एवं न्यायोचित है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अस्तु मिस आंगनबाड़ी अपीलवाद 416/12 एवं 210/12 को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा